

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

२७/६/२५

पत्रावली पेश। वकील पार्थगिण की कटुस के दौरान
प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अक्लौन
क्रिया गया। मूल वाद अधिकार घोषणा व बंधारे
का पेश क्रिया हुआ है। अपार्थगिण के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये दिये हैं।
अपार्थी स. ५ अजनबी क्रेता होने से पार्थगिण/अपार्थी
1 व 2 के सम्पूर्ण स्वामित्व की भूमि में क्रिया बंधारा
करवाये ही भूमि का स्वरूप नष्ट कर निर्माण पर
आमदा है, जिससे पार्थगिण को अपूर्णोपक्ष क्षति की
संभावना बनी हुई है। पार्थगिण/अपार्थगिण के
करते/हिससे का निर्धारण बाद में साक्ष्योपरात
क्रिया जाना है। तब तक न्यायालय विवादित भूमि
के मॉके की थचारिरी बनाये रखे जाकर उचित
समझता है, ताकि अनावश्यक वाद बाहुल्य न
हो।

अतः प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी
अर्चाई निवेद्याता दिनांक - 28/07/2021
बाबत मॉके की थचारिरी बनाये रखने
सार्फैसला वाद "कन्फर्म" (confirm) की जाती
है। पत्रावली फैसल नुमाार की जाकर बाद
तकमिल नम्बर से कम हुंकर मूल वाद के
साथ सलमन रहे। निर्णय सेरे इजलास
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

रिण्डोली